**04/ STA(विविध)-35/2018**

**बिहार सरकार**

**(परिवहन विभाग)**

*****

**पत्रांक–04/ STA(विविध)-35/2018** पटना, दिनांक–

निबंधित/
ई–मेल

**प्रेषक,**

**उप सचिव,**
**परिवहन विभाग, बिहार, पटना।**

**सेवा में,**

**सभी प्रमंडलीय आयुक्त–सह–अध्यक्ष,**
**क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।**
**सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,**
**क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।**

विषयः– **दिनांक–10.08.2018 को अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराने के संबंध में।**

**महाशय,**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परिवहन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विमर्श हेतु अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–10.08.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना के सभा कक्ष में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही आवश्यक कार्यार्थ भवदीय को उपलब्ध करायी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
**उप सचिव,**
**परिवहन विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
**उप सचिव,**
**परिवहन विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक– 5481 पटना, दिनांक– 23/8/18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधितों को उनके ई–मेल पर प्रेषित करने एवं विभागीय वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**उप सचिव,**
**परिवहन विभाग, बिहार, पटना।**

04/ STA(विविध)-35/2018

# बिहार सरकार
## (परिवहन विभाग)

*****

पत्रांक–04/ STA(विविध)-35/2018 5481 पटना, दिनांक– 23/8/18

निबंधित / ई–मेल

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।

विषयः– दिनांक–10.08.2018 को अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परिवहन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विमर्श हेतु अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–10.08.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना के सभा कक्ष में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही आवश्यक कार्यार्थ भवदीय को उपलब्ध करायी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

23/8/18

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

Phone No.: 0612-2547448, Fax: 06 2-2546212, Email: stcbihar@gmail.com

दिनांक 10.09.2018 को अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रमण्डलीय आयुक्त–ट्रांसपोर्टर, अधिवक्ता की संयुक्त बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार (कार्यवाही के अंतिम पृष्ठ के पश्चात् संलग्न)

बैठक की शुरुआत सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा स्वागत के साथ हुई। सचिव, परिवहन द्वारा बैठक के निहितार्थ एवं परिवहन के क्षेत्र में विभाग के द्वारा शुरु किए गए नवीन कार्यक्रमों एवं प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायी, इस व्यवसाय से जुड़े विभिन्न संगठन एवं परिवहन विभाग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। सचिव, परिवहन ने बताया कि व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए परमिट प्राप्त करना एक अहम कार्य है और इस विभाग के द्वारा इस व्यवस्था को पुरी तरह कम्प्यूटरीकृत करने की दिशा में कार्य किये जाने के संबंध में प्रकाश डाला गया है। इस व्यवस्था से परमिट हेतु आवेदन शुल्क एवं इससे संबंधित अन्य कार्य ऑनलाइन माध्यम से संपन्न किया जा सकेगा तथा समस्त जानकारियाँ आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। O-Gras सिस्टम से टैक्स ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। एम0 परिवहन प्रणाली से किसी भी वाहन का विवरण आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि परिवाद एवं सुझाव भी इस पर अपलोड किया जा सकता है। सचिव ने VAHAN-4 तथा SAARTHI के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करायी।

अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार के द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि सुलभ एवं सुरक्षित परिवहन की उपलब्धता के क्रम में यह आवश्यक है कि परिवहन से संबंधित कार्य पूर्णतः पारदर्शी हो। अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि मोटर वाहन कानून एवं नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अनुसार राज्य एवं प्रादेशिक प्राधिकारों की नियमित बैठकें आयोजित की जाये। सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार

मासिक बैठक आयोजित करें। यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राधिकारों के द्वारा लिये गये निर्णयों को समयबद्व तरीके से लागू किया जा सके। परमिट निर्गत करने का कार्य समयबद्व तरीके से किया जाये। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठकों का पूरे साल का रोस्टर पूर्व से प्रकाशित कर दिया जाये तथा उसके अनुरूप बैठकों का आयोजन किया जाये।

अपने संबोधन के अंत में अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार के द्वारा उपस्थित परिवहन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी संगठनों एवं अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया कि वे व्यवस्था को सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने हेतु अपना बहुमूल्य सुझाव दें।

<u>बैठक में निम्न सुझाव प्राप्त हुए</u> :–

1. सरकार के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा–68(3)(c)(a) के तहत बिहार राज्य के अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर बसों के परिचालन हेतु अधिसूचित कुल 3284 मार्गों के संदर्भ में बताया गया कि इसमें बहुत से मार्ग चिन्हित नहीं हो पाये हैं। जो स्टेज कैरेज परमिट के लिए सर्वथा अनुकुल हैं। उन्हें भी अधिसूचित करने का सुझाव दिया गया।

   इस संबंध में व्यवस्था दी गई कि इस तरह के आवेदन संबंधित सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के पास दिये जायें। सचिव इन आवेदनों को संकलित कर राज्य परिवहन आयुक्त को भेंजेगे, जो आवश्यक विधिवत कार्रवाई पूर्ण कर प्रस्तावित मार्गों को 68(3)(c)(a) के तहत अधिसूचित करने की कार्रवाई करेंगे।

2. राज्य एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के बैठकों का नियमित रुप से आयोजन करने तथा प्राधिकार के निर्णयों के अनुरुप परमिट के निर्गमन संबंधित कार्यों का समयबद्व तरीके से संपन्न करने का सुझाव दिया गया।

अध्यक्ष के द्वारा निदेश दिया गया कि मोटरगाड़ी अधिनियम एवं नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार नियमित बैठकें आयोजित की जाये। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 65 एवं 66 के अंतर्गत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को परमिट से संबंधित बैठक प्रत्येक माह में कम–से–कम एक बार तथा राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक कम–से–कम तीन माह में एक बार करने का प्रावधान है । तद्नुसार बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार की बैठकों में एकरुपता लाने के लिए अध्यक्ष के द्वारा सुझाव दिया गया कि सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, पटना एक S.O.P. तैयार करेंगे। सभी प्रमण्डलीय आयुक्त आपस में विमर्श कर इसे अंतिम रुप देंगे जिससे पूरे राज्य में परमिट संबंधित कार्यों में एकरुपता लायी जा सके।

3. दो से अधिक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारों से होकर गुजरने वाले स्टेज कैरज वाहनों को परमिट देने के संबंध में चर्चा की गई। इसमें कई तरह के मत प्रकट किये गये। एक पक्ष का मत था कि दो से अधिक प्राधिकारों से होकर गुजरने वाले मार्गों पर राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गत किया जाय । दूसरे पक्ष का मत था कि इससे परेशानी बढ़ेगी तथा सुदूर प्रमण्डल के लोगों को परमिट के लिए पटना की दौड़ लगानी पड़ेगी।

अध्यक्ष के द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि राज्य के भीतर के परमिट निर्गत करने के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के अन्तर्गत जो व्यवस्था दी गई है, उसका अनुपालन किया जाये तथा इस संबंध में शीघ्र विधिसम्मत निर्णय लेकर सूचित किया जायेगा।

4. पर्यटक परमिट निर्गत करने संबंधित मामले पर भी चर्चा की गयी। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार तीन दिन से लेकर 28 दिन तक के लिए पर्यटक परमिट

निर्गत करते हैं, जबकि राज्य परिवहन प्राधिकार के द्वारा संपूर्ण भारत पर्यटक परमिट निर्गत करने का कार्य किया जाता है।

अध्यक्ष के द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि पर्यटक परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों का त्वरित गति से निष्पादन किया जाये। विभाग से एक टीम उत्तर प्रदेश राज्य भेजी जाये, जो वहाँ परमिट निर्गत करने की व्यवस्था का अध्ययन करेगी एवं बिहार में पर्यटक परमिट को और सुगम बनाने का सुझाव देगी।

5. स्लीपर बस के परिचालन के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए। ट्रान्सपोर्टर्स का कहना था कि ये बसें वाई–फाई, ए0सी, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, अग्निशमन जैसी सुविधाओं से युक्त होती हैं। बाहर के राज्यों में इन्हें आसानी से परमिट निर्गत किया जाता है, किंतु बिहार में इसका परमिट नहीं दिया जाता जबकि कानूनी प्रावधान है। इससे यात्री सुविधा एवं राजस्व दोनों की क्षति होती है। यह निर्णय लिया गया कि परिवहन विभाग, बिहार इस दिशा में शीघ्र प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई करेगा।

6. मार्गों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में प्रश्न उठाया गया। ट्रान्सपोर्ट संगठनों का कहना था कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पास बसों की संख्या पर्याप्त नहीं है। अतः राष्ट्रीयकृत मार्गों की संख्या कम की जाये तथा मात्र कतिपय मार्गों को अधिसूचित किया जाये। बसों की संख्या बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पास अपर्याप्त होने के कारण पहले भी कतिपय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

7. परिवहन से जुड़े विभिन्न संगठनों के द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि दिनांक 27.04.2017 को संपन्न राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वाहनों का नवीकरण इस शर्त पर किया जायेगा कि वर्तमान परमिट से आवृत्त वाहन को तीन माह के अन्दर नये/उच्चतर मॉडल के वाहन

से प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा । इस संबंध में बिहार राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण में कई वाद भी चल रहे हैं।

इस संदर्भ में यह व्यवस्था दी गई कि पूरे मामले को विस्तार से लिखते हुए अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार को समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाये।

8. ट्रांसपोर्टर के द्वारा मार्गों में पड़ने वाले कतिपय बस स्टैंड के ठैकेदारों के विरूद्ध शिकायत की गई। उनका कहना था कि जब स्टैंड में गाड़ी जाती ही नहीं है, तो फिर उनसे पड़ाव शुल्क क्यों वसूली जाये। कतिपय बस पड़ाव के भीतर यात्री सुविधा के अभाव का भी जिक्र किया गया। सुझाव दिया गया कि बस पड़ाव को तभी मान्यता दी जाय जब उसमें यात्रियों के लिए स्वच्छ शौचालय की अलग से व्यवस्था हो।

अध्यक्ष के द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त बस पड़ाव की जाँच करायेंगे। जिन बस पड़ावों की सुविधा मानक के अनुरूप नहीं होगी, उनमें सुधार हेतु कार्रवाई की जाय।

9. परिवहन से जुड़े संगठनों के द्वारा IDTR,औरंगाबाद की काफी प्रशंसा की गयी। उनका अनुरोध था कि उसकी क्षमता को बढ़ाया जाये तथा हर जिले में इस तरह की सुविधा का विस्तार किया जाये।

सचिव, परिवहन के द्वारा जानकारी दी गई कि सरकार के द्वारा हर जिले में मानक ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए एक करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना सम्प्रति लागू है। उन्होंने आह्वान किया कि यदि कोई व्यक्ति इसमें आगे आता है तो उसे हर तरह की सहायता दी जायेगी।

10. कतिपय अन्य सुझाव भी दिये गये जिनका विवरण संक्षेप में निम्नवत् है:–

(i) HSRP लगाने वाले स्थलों की संख्या का विस्तार किया जाये। SMS भेजे जाने वाली सुविधा में भी सुधार की आवश्यकता है।

(ii) फर्जी PUC तथा दुरूस्ती प्रमाण पत्र पर कड़ी कार्रवाई की जाये।

(iii) पैसेंजर वाहन के ओवरलोडिंग को भी कड़ाई से नियंत्रित किया जाये।

(iv) ड्राइविंग स्कूल में प्रयुक्त होनेवाले वाहनों को व्यवसायिक वाहन के रुप में न माना जाये।

(v) दूसरे राज्यों के वाहनों, खासकर टैंकर्स जिनमें पहले से SLD लगा हुआ है, उसमें नया SLD लगाने के लिए बाध्य न किया जाये।

(vi) यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि वाहन के उम्र के अनुसार उनके द्वारा तय की जानेवाली दूरी को निर्धारित किया जाये। परमिट निर्गमन के लिए तैयार किये जाने वाले मेधा सूची बनाये जाने के लिए भी नये प्रावधान निर्धारित किये जायें ।

(vii) परमिट प्रत्यर्पण को सरल एवं सुगम किया जाये।

बैठक में ट्रांसपोर्टर एवं अधिवक्ताओं की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ब्रदीनारायण सिंह द्वारा परिवहन विभाग के इस प्रयास को ऐतिहासिक बताया गया। परिवहन क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए इस तरह की बैठकें, जिसमें ट्रांसपोर्टर, अधिवक्ता एवं सरकार एक साथ एक मंच पर आसीन हों, अद्वितीय है।

अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा इस निदेश के साथ बैठक को सम्पन्न घोषित किया गया कि 6 माह के बाद पुनः इसी तरह की बैठक आहुत

की जाए, जिसमें इस बैठक के फलाफल पर विचार किया जायेगा तथा अन्य सुझावों पर भी अमल किया जा सकेगा । जिससे अंततः आम जन को सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का संकल्प चरितार्थ हो सके ।

20/8/18

अध्यक्ष,
राज्य परिवहन प्राधिकार
बिहार, पटना।